

कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा म0प्र0.

कमांक-9 //विविध आदेश//
/विविध/2021 विदिशा दिनांक 10.04.2021

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा जारी एसओपी0 कं0 ए/113 दिनांक 15.01.2021 की कंडिका क0-06 व 17 एवं न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, विदिशा द्वारा जारी आदेश क0-क्यू-3 /एस.डब्ल्यू./2021/4722, विदिशा, दिनांक 10.04.21 द्वारा पूर्व में जारी आदेश क0 क्यू-3/एस.डब्ल्यू./2021/4630, विदिशा, दिनांक 08.04.21 के पैरा क0-1 में उल्लेखित विदिशा जिले की समस्त नगरीय क्षेत्रों में लॉकडाउन की अवधि में दिनांक 19.04.21 को प्रातः 06:00 बजे तक वृद्धि राजस्व सीमाओं के लिये दं0प्र0सं0-1973 की धारा-144 के अंतर्गत लगाये गये निर्देशों के अनुसार कर दिया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त एसओपी की कंडिका-06 एवं 17 के पालन में न्यायिक जिला विदिशा के मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालयों पर स्थित समस्त सिविल न्यायालयों (उनके कार्यालय एवं समस्त अनुभाग सहित) तथा कुटुम्ब न्यायालय विदिशा के लिये दि0-15 एवं 16.04.21 को न्यायिक कार्यवाही सस्पेंड की जाती है और आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त दिवसों में मात्र अत्यावश्यक प्रकृति (जैसे-जमानत, रिमाण्ड एवं सुपुर्दगी आदि) के प्रकरणों की सुनवाई हेतु न्यायिक अधिकारियों की ड्यूटी उनके स्टॉफ सहित लगायी जाती है। दिनांक 15.04.21 एवं 16.04.21 को नियत समस्त प्रकार के प्रकरणों की सुनवाई आगामी कार्य दिवस क्रमशः दिनांक 03.05.21 एवं 04.05.21 को उसी स्थिति में लिये जावेंगे।

निम्नानुसार सारणी में वर्णित अपर सत्र न्यायाधीश दि0-15.04.21 एवं 16.04.21 को सुबह 11:00बजे से 02:00बजे तक एवं जेएमएफसी दोपहर 02:00बजे से शाम 05:00बजे तक सुनवाई का कार्य करेंगे।

1. जिला न्यायालय विदिशा:—

क्र.	दिनांक	अपर सत्र न्यायाधीश	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
1	15 अप्रैल 21	श्री आत्माराम टांक, VASJ	श्री राकेश सनोडिया,जेएमएफसी

2	16 अप्रैल 21	सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी, IIASJ	श्री गौरव चौरसिया, जेएमएफसी
---	--------------	--------------------------------	-----------------------------

2. तहसील मुख्यालय गंजबासौदा :—

कं.	दिनांक	अपर सत्र न्यायाधीश	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
1	15 अप्रैल 21	श्री सतीशचन्द्र मालवीय, IIIASJ	श्री राकेश शर्मा, जेएमएफसी
2	16 अप्रैल 21	श्रीमती मीनल श्रीवास्तव, Add.ASJ	श्री राकेश शर्मा, जेएमएफसी

3. तहसील मुख्यालय सिरोंज :—

कं.	दिनांक	अपर सत्र न्यायाधीश	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
1	15 अप्रैल 21	श्री निसार अहमद, IASJ	श्री हेमंत सिंह, जेएमएफसी
2	16 अप्रैल 21	श्री निसार अहमद, IASJ	श्री दिलीप पाटिल, जेएमएफसी


4. तहसील मुख्यालय कुरवाई :—

कं.	दिनांक	अपर सत्र न्यायाधीश	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
1	15 अप्रैल 21	---	श्री वीरेन्द्र वर्मा, जेएमएफसी
2	16 अप्रैल 21	---	श्री वीरेन्द्र वर्मा, जेएमएफसी

5. तहसील मुख्यालय लटेरी :—

कं.	दिनांक	अपर सत्र न्यायाधीश	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
1	15 अप्रैल 21	---	श्री देवेन्द्र सोलंकी जेएमएफसी
2	16 अप्रैल 21	---	श्री देवेन्द्र सोलंकी जेएमएफसी

नोट: श्री विवेक सिंह रघुवंशी, एएसजे, लटेरी के उपरोक्त दिवसों में ~~उपरोक्त दिवसों~~ होने से, उक्त दिवसों में कार्यविभाजन पत्रकानुसार उनके प्रभारी न्यायिक अधिकारी सिरोंज श्री निसार अहमद, एएसजे उपरोक्त वर्णित प्रकार के प्रकरणों की सुनवाई का कार्य करेंगे।



 जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 विदिशा

पृष्ठांक- 611 / विविध / 2021
 प्रतिलिपि- 1/196

विदिशा, दिनांक 10.04.2021

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ.
02. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा की ओर सूचनार्थ
03. समस्त न्यायिक अधिकारी/प्रभारी अधिकारी नजारात अनुभाग एवं समस्त न्यायिक कर्मचारीगण- विदिशा/गंजबासौदा/सिरोंज/कुरवाई एवं लटेरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विदिशा,

05. पुलिस अधीक्षक, विदिशा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला विदिशा के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित करें कि उक्त दिनांकों को प्रस्तुत होने वाली केस डायरी आदि को निर्धारित समय अवधि में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
06. जेल अधीक्षक जिला जेल एवं उपजेल गंजबासौदा / लटेरी
07. कार्यालय जनसंपर्क अधिकारी विदिशा
08. अध्यक्ष अभिभाषक संघ विदिशा / गंजबासौदा / सिरोंज / कुरवाई एवं लटेरी की ओर सूचनार्थ,
09. प्रिंट मीडिया / न्यूज मीडिया प्रभारी विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं सूचना प्रसारित किये जाने हेतु।
10. जूनियर सिसटम एनालिस्ट / अस्सिस्टेंट को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश जिला न्यायालय विदिशा की वेबसाइट पर अपलोड करें।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा